पंजीकृत / ईमेल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर

पत्रांक–जनसूचना / 2023–24 / 5230-3 दिनांक 20 सितम्बर, 2023

Indian Allied Health Care,
Profesional/Institute Association,
Ch. NO. 157/1, Near Laxmi Nagar, Metro Station Gate No. 1,
Vikas Marg, Delhi-110092.
Email: iaha4054@gmail.com
Mobile: +91-6392675659

विषय–सूचना के अधिकार अंधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अधीन आप अपने पत्र दिनांक 05.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित सूचना माँगी गई है:–

1. पैरामेड़िकल प्रोफेशनल / वर्कर / प्रोवाइडर को उ0प्र0 में अभ्यास करने के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी (स्वाशासी एवं स्ववित्तपोषी) संस्था में पंजीयन अनिवार्य हैं क्या?
2. यदि हाँ तो उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश की कापी उपलब्ध करायें।
3. उ0प्र0 सरकार द्वारा किस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी (स्वशासी एवं स्ववित्तपोषी) में पैरामेडिकल प्रोफेशनल / वर्कर / प्रोवाइडर का पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

अतः आप द्वारा मांगी गई उपर्युक्त सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उंक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्धित नहीं है। उक़्त सूचना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ से सम्बन्धित है।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल निजी चिकित्सालय पंजीकरण, सुलतानपुर

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर

पत्रांक–जनसूचना / 2023–24 / 5230-3 तददिनांक

प्रतिलिपि–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ को उपर्युक्त पत्र दिनांक 05.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला प्रशासनिक अधिकारी / जनसूचना समीक्षक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर के पत्र संख्या–मु0चि0अ0 / जनूसचना / 2022–23 / 4297–2 दिनांक 22.08.2023 के क्रम मैं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल निजी चिकित्सालय पंजीकरण, सुलतानपुर

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर

Reg. No IV/65/21

INDIAN ALLIED HEALTH CARE PROFESSIONAL / INSTITUTE ASSOCIATION

2 3 SEP 2023

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय सुल्तानपुर / प्रथम अपीलीय अधिकारी

महोदय,

निवेदन है कि पत्रांक जनसूचना, 2023-24 , /5230-3 दिनांक 20 सितम्बर 2023 संज्ञान ले -

यह कि इंडियन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेसनल इंस्टिट्यूट एसोसिएशन द्वारा मांगी गयी सूचना के जवाब में उपरोक्त पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बंधित नहीं है एवं उपर्युक्त सूचना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से सम्बंधित कहा गया |

1. यह कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 5 सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड लखनऊ 226001 ने पत्रांक संख्या 6618/23, दिनांक 25/07/2023 के द्वारा सूचित किया जाता है कि यह सूचना मेरे कार्यालय से सम्बंधित नही है (संलग्नक 1 का अवलोकन करें|)

धारा 1- क्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई शासनादेश आपको प्राप्त हुआ है कि जिसमे स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि पैरामेडिकल प्रोफेसनल को अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीयन अनिवार्य किया गया है यदि हाँ तो आदेश के प्रति उपलब्ध कराए |

धारा 2- यह कि आपके कार्यालय में मौखिक रूप से निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है |

धारा 3- यह कि दिनांक 25/07/2023 को आपके कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कि गयी थी जिसका लबो -लुबाब का अवलोकन करें|

धारा 4- यह कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैरामेडिकल प्रोफेसनल को रेगुलेट करने का कोई अधिनियम नही है ऐसी स्थिति में पैरामेडिकल अभ्यास के लिए किसी भी संस्था से रजिस्ट्रेशन मांगना उचित नही है आपके जानकारी के लिए ये कहना है कि भारत सरकार द्वारा इंडियन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेसनल बिल 2021 के नाम से लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है जिसके अंतर्गत एलाइड हेल्थ केयर कमीशन के गठन की प्रक्रिया जारी है एवं इसी बिल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा "उत्तर प्रदेश एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल" के नोटिफिकेशन को मंजूरी दी गयी परन्तु काउंसिल के निर्माण कि प्रक्रिया आज तक पूरी नही है, ऐसी स्थिति में जब तक उत्तर प्रदेश एलाइड हेल्थ केयर कमीशन पूर्ण रूप से कार्य नही करने लगता एवं कोई दिशा निर्देश नही देता, तब तक आपके कार्यालय को किसी स्वशासी एवं स्वावित्तपोषी संस्था के व्यवसाय को बढाने के लिए परोक्ष या उपरोक्ष रूप से कोई कार्य नही किया जायेगा ऐसी आशा इंडियन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेसनल इंस्टिट्यूट एसोसिएशन करता है |

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

EU892976961IN IVR:6985892976961
SP MUSAFIRKHANA SO <227813>
Counter No:1,25/09/2023,12:40
To:C M O,SUL
PIN:228001, Sultanpur Avadh HO.
From:P M C OF I,DELHI
Wt:20gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post
Counter No:1,25/
Amt:41.30(Cash)
From:MUSAFIRKHANA
From:Lucknow NSH
To:Lucknow NSH
Del PO:Sultanpur

Secretary
I. A. H. A.
INDIAN ALLIED HEALTH CARE
PROFESSIONAL / INSTITUTE ASSOCIATION

भवदीय सचिव

इंडियन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेसनल /
इंस्टिट्यूट एसोसिएशन

दिल्ली

...on Gate No 1, Vikas Marg, Delhi-110092
...Email: ...54@gmail.com, **Web :** www.iaha.in

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463
Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 6618/23 दिनांक 25.07.23

सेवा में,

Mr. Mani Bhushan Sharma
S/o Shri Rajendra Prasad Sharma,
R/o SDCCP Education Foundation (Sonbhadra Road),
Devarikalan, Marihan,
Distt. Mirzapur, U.P.-231310
Mob. No.-9450726329

विषय–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत पत्र दिनांक 03.07.2023 में मांगी गई वांछित बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है –

क्र0सं0	प्रश्न	सूचना
1.	Is it mandatory to take permission from you for conduction short term Vocational Paramedical Courses in Uttar Pradesh? If necessary, by which order the copy should be provided.	बिन्दु संख्या–01 व 02 में आप द्वारा मांगी सूचना का सम्बन्ध इस कार्यालय से नहीं है।
2.	Please inform about how some paramedical courses are being conducted by Uttar Pradesh Kaushal Vikas Yojana and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana without your permission.	

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

जन सूचना अधिकारी,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

प्रेस–विज्ञप्ति

जनपद सुलतानपुर में संचालित पैरामेडिकल संस्थानों की विभिन्न माध्यमों एवं छात्रों द्वारा उनके फर्जी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्राप्त हो रही शिकायतों के क्रम में स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ0प्र0 से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत नर्सिंग एवं पैरामेड़िकल इंस्टीट्यूट की सूची उपलब्ध करायी गई है, जो संलग्न है।

नोट–सर्वसाधारण को सूचनार्थ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर

प्रतिलिपि–जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर